भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1489

दिनांक 28.07.2026 को उत्तरार्थ

जीआईएस आधारित मानचित्रण

1489. श्री धवल लक्ष्मणभाई पटेल:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वलसाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पंचायत-स्तरीय जीआईएस पहल के अंतर्गत ग्राम पंचायत परिसंपत्तियों के जियो-टैगिंग एवं जीआईएस आधारित मानचित्रण में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उक्त पहल के अंतर्गत सृजित भू-स्थानिक (जियो-स्पेशियल) आंकड़ों का एकीकरण पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान अथवा किसी अन्य राष्ट्रीय योजना मंच के साथ किया गया है; यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस प्रकार की जीआईएस आधारित योजना से जनजातीय एवं दूरस्थ ग्राम पंचायतों में अवसंरचना नियोजन, योजनाओं के अभिसरण तथा सेवा प्रदायगी में किस प्रकार सुधार हुआ है?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना (एमएमपी) के अंतर्गत पंचायती राज मंत्रालय द्वारा एम-एक्शनसॉफ्ट मोबाइल एप्लीकेशन विकसित किया गया है, जिसे वर्ष 2020-21 से ई-ग्रामस्वराज पोर्टल के साथ एकीकृत किया गया है। यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायतों द्वारा निष्पादित परिसंपत्तियों एवं कार्यों के जियो-टैगिंग तथा उनकी निगरानी को सुगम बनाता है। इसके माध्यम से परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग कार्य निष्पादन के तीन चरणों, अर्थात् कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, कार्य प्रगति के दौरान तथा कार्य पूर्ण होने पर किया जाता है, जिससे पारदर्शिता, जवाबदेही तथा प्रभावी निगरानी को बढ़ावा मिलता है।

वर्ष 2025-26 के दौरान वलसाड संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों में कुल 3,232 परिसंपत्तियों का जियो-टैगिंग किया गया है।

(ख) जी हाँ। वित्त आयोग अनुदानों के अंतर्गत सृजित एवं अनुरक्षित परिसंपत्तियों के भू-अंकित (Geo-tagged) आंकड़ों का एकीकरण पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (NMP) के साथ किया गया है। इन आंकड़ों का ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) के अधिक प्रभावी निर्माण हेतु ग्राम मंचित्र (Gram Manchitra) प्लेटफॉर्म के साथ भी एकीकरण किया गया है।

(ग) जीआईएस (GIS) आधारित सूचनाओं के एकीकरण से ग्राम पंचायतों को सार्वजनिक परिसंपत्तियों से संबंधित स्थान-विशिष्ट जानकारी उपलब्ध होती है, जिससे वे आधारभूत संरचना की कमियों की पहचान कर स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप योजना बना सकती हैं। यह ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने की प्रक्रिया के दौरान विद्यमान आधारभूत संरचना को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की योजना बनाने तथा केंद्र एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत गतिविधियों के अभिसरण (Convergence) को भी प्रोत्साहित करता है।

जहाँ तक जनजातीय एवं दूरस्थ ग्राम पंचायतों का संबंध है, भू-अंकित परिसंपत्तियों की जानकारी तथा स्थानिक मानचित्रण (Spatial Mapping) की उपलब्धता से स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर ग्रामीण संपर्क मार्ग, पेयजल स्रोत, विद्यालय, स्वास्थ्य सुविधाएँ, आंगनवाड़ी केंद्र, सामुदायिक परिसंपत्तियाँ तथा अन्य बुनियादी आधारभूत संरचना से संबंधित कार्यों की योजना बनाने एवं उन्हें प्राथमिकता देने में सुविधा होती है। इसके अतिरिक्त, यह ग्राम पंचायतों को वंचित बस्तियों की पहचान करने, आधारभूत संरचना की कमियों का आकलन करने, परिसंपत्तियों के दोहराव से बचने तथा स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप सुविचारित योजना के आधार पर ग्राम पंचायत विकास योजना (GPDP) तैयार करने में भी सहायता प्रदान करता है।
